Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 5/18 सी.आई.एस.क्र.– 5/18

काशीनाथ सिंह द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम दुखी दास एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
08/05/25	वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4, 9 दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.03.24 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 17.11.21 को हो गई है, जो अपने पीछे चार पुत्र सत्यनारायण शर्मा, जय नारायण शर्मा, बब्लू शर्मा एवं श्याम सुंदन शर्मा को छोड़कर मरे है। जिसकी जानकारी वादी को नहीं थी। जिस कारण से वादी नियत समय के भीतर यह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका। जिस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद का उप–समन हो गया है। वादी ईलाजरत रहने के कारण नियम समय में आवेदन देने में असफल रहा है। अतः विनम्र निवेदन है कि वादी के आवेदन को स्वीकृत कर वाद से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी को प्रतिवादी दुखी शर्मा के मृत्यु की जानकारी दिनांक 17.11.21 को ही दे दी गई थी परंतु वादी के द्वारा जान–बूझकर नियम समय के भीतर यह आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण से वाद का उप–समन हो गया है। अतः वादी का उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 29.03.22 को ही प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी दे दी थी परंतु फिर भी वादी के द्वारा नियत समय के भीतर यह आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाना न्याय संगत है। अतः प्रतिवादी को हुई असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वादी के इस आवेदन को 500 रूपये खर्च पर स्वीकृत कर विलंब को माफ करते हुए उक्त समन को रद्द कर वाद से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को वाद में पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। खर्चा प्रतिवादी को देय होगा। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु समन सामाग्री दाखिल करें। वाद आगामी दिनांक 02.06.25 उपस्थिति हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूणियाँ	